"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 180] रायपुर, सोमवार, दिनांक 14 जुलाई 2003—आषाढ़ 23, शक 1925

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 जुलाई, 2003

अधिसूचना

क्रमांक एफ 21-4/2003/नौ/55.—मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 (क्रमांक 42 सन् 1994) की धारा 13 की उपधारा 2 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़ को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये समुचित प्राधिकारी नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रमोद सिंह, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 14 जुलाई, 2003

क्रमांक एफ 21-4/2003/नौ/55.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 21-4/2003/नौ/55, दिनांक 14-7-2003 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रमोद सिंह, उप-सचिव.

Raipur, the 14th July 2003

NOTIFICATION

No. F 21-4/2003/IX/55.—In exercise of the powers conferred by Sub-section 2 of Section 13 of the Transplantation of Human Organs Act, 1994 (No. 42 of 1994), the State Government, hereby, appoints the Director, Health Services, Chhattisgarh as Appropriate Authority for the purposes of the said Act.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRAMOD SINGH, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 14 जुलाई, 2003

अधिसूचना

क्रमांक एफ 21-4/2003/नौ/55.—मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 (क्रमांक 42 सन् 1994) की धारा 9 की उपधारा 4 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की उक्त धारा के प्रयोजनों के लिये निम्नलिखित सदस्यों को सम्मिलित करते हुये एक प्राधिकार समिति का गठन करती है :—

1.	कलेक्टर, रायपुर	-	अध्यक्ष
2.	अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर	-	सदस्य
3.	विभागाध्यक्ष, मेडिसीन विभाग, चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर	-	सदस्य
4.	विभागाध्यक्ष, पैथालाजी विभाग, चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर	-	सदस्य
5.	विभागाध्यक्ष, फोरेन्सिक मेडिसीन विभाग, चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर.	-	सदस्य

2. समिति उक्त अधिनियम की उक्त धारा के प्रयोजनों लिये अपने द्वारा किये गये कार्यों एवं अन्य बातों के संबंध में प्रतिमाह राज्य सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रमोद सिंह, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 14 जुलाई, 2003

क्रमांक एफ 21-4/2003/नौ/55.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 21-4/2003/नौ/55, दिनांक 14-7-2003 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रमोद सिंह, उप-सचिव.

Raipur, the 14th July 2003

NOTIFICATION

No. F 21-4/2003/IX/55.—In exercise of the powers conferred by Clause (b) of Sub-section 4 of Section 9 of the Transplantation of Human Organs Act, 1994 (No. 42 of 1994), the State Government, hereby, constitutes an Authorisation Committee for the purposes of the said Section of the said Act consisting of the following members :—

1.	Collector, Raipur	-	Chairman
2.	Dean, Medical College, Raipur	-	Member
3.	Head of the Department of Medicine, Medical College, Raipur.	-	Member
4.	Head of the Department of Pathology, Medical College, Raipur.	-	Member
5.	Head of the Department of Forensic Medicine, Medical College, Raipur.	-	Member

2. The Committee shall report every month to the State Government of the works and other things done by it for the purposes of the said Section of the said Act.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRAMOD SINGH, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2003.